न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक.   /2013 अपील

अपील 6391/2013 संतोष कुमार चौधरी पुत्र महेश प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम पिपरिया तह. सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र.

——— अपीलान्ट

बनाम

म.प्र. शासन

——— प्रतिअपील

श्री एस. के. ... द्वारा आज दि. 13.11.13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.11.13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्याया. विद्वान कलेक्टर जिला शहडोल के प्रक. 1/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत।</u>

मान्यवर,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :—

13.11.13

अपील के तथ्य :—

1. यह कि प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क. 582/3 रकबा 0.08 एकड़ स्थिति ग्राम पिपरिया तह. सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. के शासकीय भूमि सर्वे क. 642 के अंशभाग रकबा 0.05 एकड से विनिमय समान भाग से भी कम के संबंध में आवेदकन पत्र कलेक्टर महोदय शहडोल के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। उक्त आवेदनपत्र पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कलेक्टर महोदय शहडोल द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में अनु.वि.अधि. के माध्यम से तहसीलदार सोहागपुर की ओर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। तहसीलदार सोहागपुर द्वारा प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर विधिवत प्रकरण कायम कर उद्घोषणा जारी की गई, आपत्तियॉ बुलाई गई, किसी ग्रामवासी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गई एवं पटवारी के कथन लिपिबद्ध किये गये तथा आवेदक स्वयं के कथन लिये जाकर ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा गया। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया एवं अनु.वि. अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार के प्रतिवेदन चाहा गया जो प्रतिवेदन अभिलेख पर संलग्न है। एवं उपपंजीयक से समान क्षेत्र. के मूल्य के निर्धारण हेतु रिपोर्ट नहीं ली गई जिसमें समान मूल्य होने की रिपोर्ट अभिलेख पर संलग्न नहीं है। फिर भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को दिनाक 19.10.2013 से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर अपील निम्नलिखित आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत है :—

शाखा प्रभारी (रा.म.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमाक - अपील 4081-तीन/13

जिला - शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.6.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 1/अ-74/12-13 में पारित आदेश दिनांक 19-10-13 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(1) के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने अपीलांट द्वारा म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 कमांक-3 की कंडिका 20 के तहत अपने स्वामित्व की भूमि की अदला-बदली शासकीय भूमि से किए जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन को अग्राह्य किया गया है । 2-- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का होकर निजी स्वामित्व की भूमि की अदला-बदली शासकीय भूमि से किए जाने के संबंध में है । कलेक्टर ने म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप कमांक 16-49/2010/सात/2ए दिनांक 12-9-11 के आधार पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पारित आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर निरस्त की जाती है । अपीलांट सक्षम न्यायालय में अपील आदि प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । 3- उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	